

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.-07723-223305, फैक्स नं.-07723-223302, E-mail: msamund.cg@nic.in

// संशोधित आदेश //

क्रमांक / 705 / क / एस.डब्ल्यू / 2020

महासमुन्द, दिनांक 02/08/2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/681/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 28.07.2020 एवं क्रमांक/695/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द, दिनांक 31.07.2020 के तारतम्य में रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर, दिनांक 03 अगस्त, 2020 को एक दिवस के लिये प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक राखी एवं मिठाई के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है। पूर्व में प्रसारित आदेश की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Khoel.

02-08-2020

कलेक्टर
जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ क्रमांक / 705 / क / एस.डब्ल्यू / 2020
प्रतिलिपि :-

महासमुन्द, दिनांक 02/08/2020

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
04. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
06. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/सरायपाली, को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावें।
07. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द, को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावें।
08. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला महासमुन्द, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।



Khoel.

कलेक्टर
जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)